

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1315 / 2022 दिनांक : 16.04.2022

श्री सीताराम खोवाल (RJ0264), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक को दिनांक 09.05.2022 से 11.05.2022 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.05.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री खोवाल की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

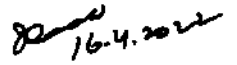
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 16.04.2022

कमांक:—स्था.बी.2(4) 85/1996/2881

दिनांक : 16.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक को उनके पत्रांक 81 दिनांक 25.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सीताराम खोवाल (RJ0264), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ।


सहायक रजिस्ट्रार